5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 विविध इस्ता० 2057-II-15

आवेदक

विरुद्ध

अनावेदक

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 3608 III-4 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/3/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 27/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 27-3-15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 3608 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

प्रार्थी

दिनांक

स्थान–ग्वालियर

s-1d

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3608/दो/2013
एवं रेस्टो.कमांक–2057/2/15

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मनबसुआ/रामकृपाल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2015	प्रकरण में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रमणी प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के शपथपत्र दिनांक 25.8.15 के साथ आवेदन पत्र दिनांक 8.10.15 को प्रस्तुत कर प्रचालित प्रकरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा किए गये निवेदन पर विचार किया गया तथा न्यायालय में प्रचलित उक्त प्रकरणों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका की ओर से दायर मूल निगरानी प्रकरण कमांक 3608/तीन/2013 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.3.15 से अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। उक्त मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 3.7.15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर से रेस्टो. प्रकरण कमांक 2057/2/15 दर्ज होकर विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 8.10.15 स्वीकार किया जाकर विचाराधीन रेस्टो. प्रकरण 2057/2/15 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	